WESTERN RAILWAY

P.S.No.32/2012

Headquarter Office, Churchgate, Mumbai-20

No. EP/HER/526/7 Vol.IV

Date: 04.04.2012

To.

All DRMs / CWMs & Units Incharge,

C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.

C/- GS-All India SC/ST Rly Employees. Assn, 'W' Zone, Mumbai

C/- GS-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub: Enforcement of Contract Labour (R&A) Act, 1970 and the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 by All Ministries /PSUs/Units.

========

A copy of Railway Board's letter No. 2012/E(LL) AT/CNR/6 dated 16.03.12 (R.B.E.No.35/2012) is sent herewith for information, guidance and necessary action.

Encl: As above.

(S. Kademani) For General Manager(E) No. 2012/ E (LL) / AT/ CNR / 6

New Delhi, dated 16- 03-2012

The General Managers,

All Zonal Railways, Pus, Metro Railway, Kolkata

CORE, Allahabad, RDSO, Lucknow.

The General Manager, Railway Staff College, Vadodra.

The General Managers, IRIEEN, Nasik, IRIMEE, Jamalpur, IRICEN, Pune,

IRISET, Secunderabad, IRITEM, Lucknow, CAMTECH, Gwalior.

The CAO, COFMOW, Tilak Bridge, New. Delhi.

The Vice Chairman, Rail Land Development Authority (RLDA), Moti Bagh -I.

Near Safdarjung Railway Station, New Delhi-110 021.

The Managing Director, Container Corporation of India Ltd., Concor Bhavan,

C-3, Mathura Road, Opp. Appolo Hospital, New Delhi-110076.

The Managing Director, CRIS, Chankyapuri, New Delhi.

The Managing Director, IRCON, International Ltd., Palika Bhavan, R.K.

Puram, Sector -13, New Delhi.

The Managing Director , Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd., Corporate Office, 9th Floor, Bank of Baroda Building, 16 Parliament Street, New Delhi,

The Managing Director, Indian Railway Finance Corporation Ltd., NBCC

Place, Bhisma Pitamah Marg, Pragati Vihar, Lodhi Road, New Delhi.

The Managing Director, Konkan Railway Corporation Ltd., 3, Rail House, Panchsheel , Sector -23, CBD, Belapur, Navi Mumbai.

The Managing Director, Mumbai Rail Vikas Corporation Ltd., D-44,

P B Colaba, Mumbai. The Managing Director, Rail Vikas Nigam Ltd., 34, S.P. Marg, New Delhi.

The Managing Director, Railtel Corporation of India Ltd., 10th Floor, Bank of Baroda Building, 16 Parliament Street, New Delhi.

The Managing Director, RITES Ltd., RITES Bhavan, Plot No. No.1, Stector -29. Gurgaon.

The Managing Director Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited, Metro Station Building, Pragati Maidan, New Delhi.

Sub: Enforcement of Contract Labour (R&A) Act, 1970 and the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 by All Ministries /PSUs/Units.

The Staff Inspection Unit (SIU) of the Ministry of Finance (Department of Expenditure) had conducted the work measurement study of the Office of the

Regional Labour Commissioner (Central) Dhanbad & Jabalpur under the Ministry of Labour and Employment and made recommendations one of which is as under:-

Para 8. 2. of the reports: "An effective mechanism is required to be evolved to make the Contractual Labour Act and the BOCW Act effective in its enforcement. The observation of the team is that implementation of these Acts which are lately emerging as wider in its coverage on ground, is quite ineffective in curbing the violations. In this context, the SIU is of the view that to make these two laws in operationalization form and making it effective, a directive from the highest level of the Ministry can go to all Ministries and their executive authorities to hire the contractors who are in position to fulfill all the conditions stipulated in the schedule—I to XII of the Contract Labour Act. This measure from the Ministry will to some extent make the establishments perceptive to the directions of the Ministry and will have an indirect effect in the enforcement of this Act".

Board desire that Railway should ensure better and effective compliance of the provisions of all the Labour enactments including the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act 1996.

Please acknowledge receipt.

(A. D. Ramachandran)

Director Establishment (LL)

भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2012-ई (एलएल)/एटी/सीएनआर /6

नई दिल्ली, दिनांक: 18.03.2012

महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय रेलें. उत्पादन इकाइयां और पैटो रेल. कोलकाता. कोर, इलाहाबाद, महानिदेशक, अ.अ.मा.सं./लखनऊ। महानिदेशक, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा निदेशक, इरीन, नासिक, इरिमि जमालपुर, इरिसेन, पुणे, इतिसेट, सिकंदराबाद, आईआरआईटीएम, लखनऊ, केमटेक, ग्वालियर। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कॉफमो, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली। उपाध्यक्ष, आराएलडीए मोती बाग-1, सफदरजंग रेलबे स्टेशन के पास, नई दिल्ली-110021 प्रबंध निदेशक, कॉनकोर लि., कॉनकोर भवन, सी-3, मथुरा रोड, अपोली अस्पताल के सामने, नई दिल्ली-110076 प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्यपरी, नई दिल्ली प्रबंध निदेशक, इस्कॉन इंटरनेशनल लि., पालिका मधन, आर.के. प्रम. सं. 13, नई दिस्ली प्रवंध निदेशक, आईआरसीटीसी, कॉरपोरेट आफिस, 9वां तल, बैंक ऑफ बढ़ोदा विलिंडग, 16 संसद मार्ग, नई दिल्ली प्रबंध निदेशक, भारतीय रेल वित्त निगम लि. एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, लोधी रोड, नई दिल्ली प्रबंध निदेशक, कॉकण रेल निगम लि., 3, रेल हाऊस, पंचशील, सेक्टर 23, सीबीडी, बेलापुर, नवी मुंबई प्रबंध निदेशक, मुंबई रेल विकास निगम लि. डी-44, पोस्ट बॉक्स कोलाबा, मुंबई प्रबंध सिदेशक, रेल विकास निगम लि. 34, एस. पी. मार्ग, नई दिल्ली प्रबंध निदेशक, भारतीय रेलटेल निगम लि.. 10वां तल, बेंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, 16 संसद मार्ग, नई दिल्ली प्रबंध निदेशक, राइट्स लि., राइट्स भवन, फ्लॉट नं.1, संक्टर-29, गृहगांव प्रवंध निर्देशक, डेंडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर ऑरपोरेशन ऑफ इंडिया लि., मेट्रो स्टेशन विल्डिंग, प्रगति मैदान, नई दिल्ली

विषय: सभी मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/इकाइयों द्वारा संविदागत श्रीषक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा की शर्त) अधिनियम, 1996 को लागू करना।

वित्त मंत्रालय (च्यय विभाग) की कर्मचारी निरीक्षण इकाई (एसआईयू) ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन क्षेत्रीय श्रमिक आयुक्त (मध्य) धनबाद और जबलपुर के कार्यालयों का कार्य के आकलन का अध्ययन किया और अपनी सिफारिशें दी, जिनमें से एक निम्नानुसार है:

रिपोर्ट का पैरा 8.2: "संविदायत शामक आधिनियम और विल्डिंग एवं अन्य निर्माण कामगारे (रीजगार क. विनियमन एवं सेवा की शतें) अधिनियम को लागू करने के लिए एक प्रभावों तंत्र विकसित किया जाना अमेक्षित है। इस टीम ने देखा कि इन अधिनियमों के कार्यान्वयन वास्तव में अपनी कवरेज के कारण हाल में काफी विस्तृत हो गया है, के उल्लंधन को रोकने-की व्यवस्था काफी निष्प्रभावी है। इस संदर्भ में एसआईयू का

4मनना है कि इन दो कानूनों को लागू करने और इन्हें प्रभावी बनाने के लिए मंत्रालय के उच्चतम स्तर से सभी मंत्रालयों को अनुदेश दिए जा सकते हैं और इनके एवज़ीक्यूटिय प्राधिकारी उन उंकदारों को हायर करें, जो संविदागत श्रमिक अधिनियम की अनुसूची के l से XII में निर्धारित सभी शतों को पूरा करने की स्थिति में हो। मंत्रालय के इस उपाय से कुछ सीमा तक संगठन, मंत्रालय के निदेशों को समझैंगे और इस आंधीनयम को लागू करने में अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा"।

बोर्ड ने बांछा को है कि रेलों द्वारा संविदागत श्रीमक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा की शर्त) अधिनियम, 1996 के उपवंधों सहित सभी श्रम अधिनियमों के उपवंधों का बेहतर एवं प्रभावी हंग से अनुपालन सुनिश्चित किया

कपया पावती दें।

्र द्वा-२।मध्यप्र (ए. डी. रामचन्द्रन)

निदेशक स्थापना (एलएल)